<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

10.08.2022

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने खाद्य तेलों (एक घटक के रूप में एकल तेल) में मिलावट तथा ट्रांस-फैटी एसिड और उचित लेबलिंग के बिना बहु-स्रोत वाले खाद्य तेलों की बिक्री की जाँच के लिए 01.08.2022 से देश भर में एक राष्ट्रव्यापी निगरानी अभियान शुरू किया है।

एफएसएसएआई मानकों का उल्लंघन रोकने तथा किसी भी मिलावट की जाँच के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा विभागों/एफडीए द्वारा उक्त अभियान के तहत अब तक बहु-स्रोत वाले खाद्य तेलों के साथ-साथ खुले खाद्य तेलों और वनस्पति सहित पैकेज्ड तेलों के 2844 निगरानी नमूनों की ड्राइंग के साथ कार्रवाई जारी है।

इसके अलावा, अब तक देश भर में लगभग 26 लाख मूल्य के 20294 लीटर की भारी मात्रा में खुला खाद्य तेल भी मौके पर जब्त किया गया है।

यह अभियान 14.08.2022 तक चलेगा और प्रयोगशालाओं के निष्कर्षों के आधार पर तुरंत नियामक नमूने लिए जाएँगे ताकि सभी उल्लंघन करने वाले खाद्य व्यापार संचालकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सके।

मीडिया के प्रश्नों के लिए संपर्क करें:
रुचिका शर्मा
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
ई: sharmaruchika.21@gmail.com